215

संख्या — /XXXVI(1)/2012–43 एक(1)/2003

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 10 अप्रैल, 2013

विषय– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड को देय फीस में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–125–एक(6)/छत्तीस(1)/न्या0अनु0/2005 दिनांक 12.09.2005 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, महाधिवक्ता उत्तराखण्ड को दिनांक 01.01.2013 से निम्नविवरणानुसार पारिश्रमिक दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1	रिटेनर फीस नियत	₹ 50,000/– (₹ पचास हजार मात्र) प्रति माह
2	पुस्तकालय भत्ता	₹ 2,500/– (₹ दो हजार पांच सौ मात्र) प्रति माह
3	राज्य के सभी न्यायालयों, उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं न्याधिकरणों तथा परिषदों आदि में बहस करने हेतु अनुमन्य फीस (चाहे एक से अधिक कितने मामलों में बहस की जाये)	₹ 25,000/– (₹ पच्चीस हजार मात्र) प्रति कार्य दिवस
4	प्रदेश के बाहर (मा0 उच्चतम न्यायालय को छोडकर) समस्त न्यायालयों, न्यायाधीकरणों एवं परिषदों आदि में राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमन्य फीस (चाहे एक से अधिक कितने मामलों में बहस की जाये)	₹ 25,000/– (₹ पच्चीस हजार मात्र) प्रति कार्यदिवस
5	उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमन्य फीस (चाहे एक से अधिक कितने मामलों में बहस की जाये)	₹ 30,000/– (₹ तीस हजार मात्र) प्रति कार्यदिवस
6	अतिथि सत्कार भत्ता (अवकाश की अवधि को छोड़कर)	₹ 2,000/– (₹ दो हजार मात्र) प्रति माह

क्रमशः–2

7 नैनीताल को छोड़कर अन्य स्थानों पर कार्य हेतु मामलों की सुनवायी के मध्य पड़ने वाले अन्तरवर्तीय अकार्य दिवसों के लिए अनुमन्य फीस की दरें एवं तीन अकार्य दिवसों की शर्त पूर्व व्यवस्था के अनुसार यथावत बनी रहेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अधीन लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)–03–महाधिवक्ता–00–16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–06 NP/XXVII(5)/13-14 दिनांक 05.04.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या–1250/XXXVI(1)/2013–43 एक(1)/2003 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2– सचिव, श्री राज्यपाल महोदय।
3– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4– मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
6– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
7– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव